

रेट लिस्ट वर्ष 2018-19
बवानी खेडा ।

प्रस्तावित रेट वर्ष 2019--20
बवानी खेडा ।
(01.04.2019 से 30.09.2019 तक)

क्र०	नाम गाँव	नहरी/चाही	ताल/बरानी	टिब्बा/बज	गै०मु०आबादी
1	बवानी खेडा	900000	800000	700000	1300000
2	बलियाली	800000	700000	600000	1000000
3	रामपुरा	800000	700000	600000	1000000
4	सुई	800000	700000	600000	900000
5	तागा	800000	700000	600000	900000
6	पुर	800000	700000	600000	1000000
7	सिवाडा	800000	700000	600000	1000000
8	लोहरी जाट	800000	700000	600000	1000000
9	सुमडा खेडा	800000	700000	600000	1000000
10	जमालपुर	900000	800000	700000	1000000
11	सिपर	800000	700000	600000	1000000
12	बोहल	800000	700000	600000	900000
13	पर्पासा	900000	800000	700000	1000000
14	औरंग नगर	800000	700000	600000	1000000
15	रतार	800000	700000	600000	900000
16	रोहनात	800000	700000	600000	900000
17	बडसी	800000	800000	700000	1000000
18	सिवाणा	900000	800000	700000	1000000
19	कुगड	900000	800000	700000	1000000

संयुक्त सभ सजिस्टार,
बवानी खेडा ।

उपमंडल अधिकारी (नो०)
बिवाणी

क्र०	नाम गाँव	नहरी/चाही	ताल/बरानी	टिब्बा/बज	गै०मु०आबादी
1	बवानी खेडा	950000	850000	750000	1350000
2	बलियाली	850000	750000	650000	1050000
3	रामपुरा	850000	750000	650000	1050000
4	सुई	850000	750000	650000	950000
5	तागा	850000	750000	650000	950000
6	पुर	850000	750000	650000	1050000
7	सिवाडा	850000	750000	650000	1050000
8	लोहरी जाट	850000	750000	650000	1050000
9	सुमडा खेडा	850000	750000	650000	1050000
10	जमालपुर	950000	850000	750000	1050000
11	सिपर	850000	750000	650000	1050000
12	बोहल	850000	750000	650000	950000
13	पर्पासा	950000	850000	750000	1050000
14	औरंग नगर	850000	750000	650000	1050000
15	रतार	850000	750000	650000	950000
16	रोहनात	850000	750000	650000	950000
17	बडसी	850000	850000	750000	1050000
18	सिवाणा	950000	850000	750000	1050000
19	कुगड	950000	850000	750000	1050000

जिला स्तर पर अधिकारी,
बिवाणी वानी ।

कलेक्टर केशवराणी
बिवाणी

तहसील बवानी खेडा शहरी भूमि के रेट वर्ष 2019-20

क स०	नाम स्थान	रेट प्रति वर्गगज वर्ष 2018-19	रेट प्रति वर्गगज वर्ष 2018-19 (कमारिलिय)	प्रस्तावित रेट प्रति वर्गगज वर्ष 2019-20 (01.04.19 से 30.09.2019 तक)	प्रस्तावित रेट प्रति वर्ग मीटर वर्ष 2019-20 (01.04.19 से 30.09.2019 तक)	प्रस्तावित रेट प्रति वर्गगज वर्ष 2019-20 (कमारिलिय) (01.04.19 से 30.09.2019 तक)	प्रस्तावित रेट प्रति वर्ग मीटर वर्ष 2019-20 (कमारिलिय) (01.04.19 से 30.09.2019 तक)
1	वाणिज्य स्थल हारी चुंगी से बवानी खेडा बाईपास हड्डडा तक	6100 / - ₹0	12700 / - ₹0	6500 / - ₹0	7800 / - ₹0	13000 / - ₹0	15600 / - ₹0
2	रेलवे लाईन रोड (वाणिज्य स्थल)	6100 / - ₹0	10400 / - ₹0	6300 / - ₹0	7560 / - ₹0	10600 / - ₹0	12720 / - ₹0
3	पुराना नगर पालिका रोड (वाणिज्य स्थल)	6100 / - ₹0	15000 / - ₹0	6300 / - ₹0	7560 / - ₹0	15300 / - ₹0	18360 / - ₹0
4	सारी पुरानी रिहायशी आबादी	2800 / - ₹0	6400 / - ₹0	3000 / - ₹0	3600 / - ₹0	6600 / - ₹0	7920 / - ₹0
5	नई आबादी / हड्डडा सैक्टर (गण्डी टाउनशिप के रेट कमारिलिय के हिसाब से होंगे)	2800 / - ₹0	5200 / - ₹0	5000 / - ₹0	6000 / - ₹0	6600 / - ₹0	7920 / - ₹0
6	सांवरमल कालोनी	1200 / - ₹0	3900 / - ₹0	2000 / - ₹0	2400 / - ₹0	4000 / - ₹0	4800 / - ₹0
7	ताराचन्द कालोनी	1700 / - ₹0	3900 / - ₹0	2000 / - ₹0	2400 / - ₹0	4000 / - ₹0	4800 / - ₹0
8	नायकौ वाली टाणी	1500 / - ₹0	3900 / - ₹0	2000 / - ₹0	2400 / - ₹0	4000 / - ₹0	4800 / - ₹0
9	अहिरा वाली टाणी	1500 / - ₹0	3900 / - ₹0	2000 / - ₹0	2400 / - ₹0	4000 / - ₹0	4800 / - ₹0
10	विजली बोर्ड कालोनी	1500 / - ₹0	5200 / - ₹0	2000 / - ₹0	2400 / - ₹0	5300 / - ₹0	6360 / - ₹0
11	रामरूप कालोनी	2800 / - ₹0	6400 / - ₹0	3000 / - ₹0	3600 / - ₹0	6600 / - ₹0	7920 / - ₹0
12	पुराना बस स्टैण्ड	3600 / - ₹0	6400 / - ₹0	4000 / - ₹0	4800 / - ₹0	6400 / - ₹0	7680 / - ₹0
13	वाल्मिकी बस्ती	1700 / - ₹0	3900 / - ₹0	2000 / - ₹0	2400 / - ₹0	4000 / - ₹0	4800 / - ₹0
14	हरिजन बस्ती	1200 / - ₹0	3400 / - ₹0	2000 / - ₹0	2400 / - ₹0	4000 / - ₹0	4800 / - ₹0

रिहायशी क्षेत्र में व्यवसायिक यादि 50 वर्गगज से कम क्षेत्र के रेट उस कालोनी के कलैक्टर रेट 50 प्रतिषत अधिक होंगे ।

संयुक्त सभ राजस्टर,
बवानी खेडा ।

उपस्थित अधिकारी (समग)
मिवानी मिवानी

मिवानी मिवानी ।

कलैक्टर बवानी
मिवानी ।

पलीन्ध एरिया की दरें विभिन्न श्रेणी की बनावट के लिए प्रति वर्गफुट

श्रेणी -1	श्रेणी -2	श्रेणी -3	अपूर्ण पक्के मकान मलकियत की दरें निम्न आंकी जावे
सिमेन्ट में चिनाई, सिमेन्ट का प्लास्टर विना पालिश के इंट पत्थर के फर्श, गाटर पत्थर व कडियों की छत साधारण दरवाजे, खिडकी तथा बिजली पानी फिटिंग, आर0सी0सी0 तथा बाहर पत्थर की जुड़ाई 1500 / -रु	सिमेन्ट में चिनाई, सिमेन्ट का प्लास्टर विना पालिश के इंट पत्थर के फर्श, गाटर पत्थर व कडियों की छत साधारण दरवाजे, खिडकी तथा बिजली आदि । 1200 / -रु	मिटी गारा की चिनाई, सिमेन्ट का प्लास्टर विना पालिश के इंट पत्थर के फर्श, गाटर पत्थर व कडियों की छत साधारण दरवाजे, खिडकी तथा बिजली आदि । 1000 / -रु	<ol style="list-style-type: none"> 1. यदि ढांचा तैन्टर लेबल तक हुआ हो तो 25 प्रतिशत तक पूर्ण माना जायेगा । 2. यदि दोनो पूर्ण बन गये हो तो छत डल गई हो मगर प्लास्टर, फर्श, सनेटरी, बिजली, आदि हो तो उसे 50 प्रतिशत पूर्ण माना जावेगा । 3. मकान पूर्ण बन गया हो तथा प्लास्टर, फर्श, खिडकी, दरवाजे दिये गये हो मगर सनेटरिये बिजली फिटिंग का कार्य बकाया हो तो 75 प्रतिशत पूर्ण माना जावेगा ।


संयुक्त सभ्य राजस्त्रार,
बवानी खेडा ।


उपप्रमुख अधिकारी (ना0)
उपमण्डल अभियंता (ना0)
भिवानी


जिला राजस्व अधिकारी,
भिवानी ।


कलेक्टर भिवानी
जिला कलेक्टर,
भिवानी ।

कलैक्टर रेट
तहसील बवानी खेडा ।
वर्ष 2019-2020
(01.04.2019 से 30.09.2019 तक)

नोट:- बवानी खेडा , लोहारी जाटु सुमडा खेडा बडसी आदि जो गांव भिवानी हासी मार्ग पर पडते है उनमें रोड के दोनो तरफ की दो एकड दुरी तक की जमीन के रेट 2000000/-रू प्रति एकड होंगे । हांसी से तोशाम रोड पर दो एकड दुरी तक रोड के दोनो तरफ पडने वाले रकबा के रेट 1600000/-रू प्रति एकड होंगे तथा बवानी खेडा से तोशाम , जमालपुर व पुर रोड पर दो एकड दूरी तक की जमीन के रेट 1400000/-रू प्रति एकड होंगे । बवानी खेडा में हांसी चुगी से हुडा कालोनी तक कस्बा बवानी खेडा में नगर पालिका हद्द के अन्दर संडक के दोनो तरफ दो एकड की गहाराई तक 3000000/-रू प्रति एकड के हिसाब से लगेगे । एक हजार वर्गगज तक की भूमि की रजिस्ट्री गजो के हिसाब से होगी । लाल डोरा के अन्दर की फिरनी के साथ जो प्लाट है , उनकी रजिस्ट्री 600/- प्रति वर्गगज व लोहारी जाटू , मिल्कपुर , सिकन्दरपुर के 800/-रू प्रति वर्गगज व बवानी खेडा नगरपालिका से बहार 2000 रू0 प्रति वर्ग गज के हिसाब से की जावे । वाणिज्य स्थल रोड से 50 फुठ तक माना जावेगा । वाणिज्य स्थल में हस्पताल , स्कूल व अन्य सार्वजनिक स्थान आदि नही माने जायेगें । इसमें दुकान , कारखाना आदि वाणिज्य स्थल के रूप में माने जायेगें ।

संब रजिस्ट्रार,
बवानी खेडा ।

उपमण्डल अधिकारी (ना०)
उपमण्डली अधिकारी (ना०)
भिवानी

जिल्हा रजिस्ट्रार, भिवानी
जिल्हा रजिस्ट्रार, भिवानी ।

कलैक्टर, भिवानी
भिवानी ।